पत्रांक : 5/स 1-06/09 उ0 शि0.....

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

सुखदेव मुण्डा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक :

विषयः- राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को सत्र 2010-11 के लिए संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- VBU/Esstt./398/11 दिनांक-3.03.11 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर के पत्रांक- ERC/7-93.6(ii).14/2009/15784 दिनांक- 23 मार्च, 2009 के कम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को सत्र 2010-11 के लिए निम्न शर्त्तों के साथ वित्त रहित स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है :-

(क) जिस भवन में यह प्रशिक्षण कार्य होगा, वह सिर्फ प्रशिक्षण कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा, किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं।

(ख) यदि यह पाया गया कि भवन में बी0एड0 प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

(ग) विश्वविद्यालय नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व पुनः सुनिश्चित हो लेगा कि महाविद्यालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर लिया गया है।

(घ) महाविद्यालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार विधिवत् नामांकन में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है एवं मानक के अनुरूप 200 दिनों का प्रशिक्षण एवं शिक्षण अभ्यास कार्य वास्तविक रूप में पूरा करने में सक्षम होगा।

(ङ.) विश्वविद्यालय वर्ष 2010-11 में संबंधन दीर्घीकरण संबंधी अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व अपनी अनुशंसा की पुनः समीक्षा कर यथा भूमि, भवन, शिक्षकों की योग्यता एवं अन्य आधारभूत सभी संरचनाओं संबंधी शर्त्तों पर संतुष्ट हो लेगा।

(च) शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।

(छ) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति सरकार से प्राप्त किये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।

(ज) चूंकि संबंधन दीर्घीकरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2010-11 के अंतिम चरण में सहमति हेतु प्रेषित की गई है, वैसी स्थिति सत्र 2010-11 का संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के बाद यदि कोई भी अनियमितता परिलक्षित होगा तो इसकी पूर्ण जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी तथा इसके लिए विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से जवाबदेह होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुखदेव मुण्डा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 5/स 1-06/09 426 राँची, दिनांक : 21/04/2011

प्रतिलिपि :- निदेशक, उच्च शिक्षा/ प्राचार्य, राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/04/011

(सुखदेव मुण्डा)
सरकार के अवर सचिव।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

अधिसूचना

(क) मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/स1–03/2010–382 दिनांक 8/4/11; 5/स1–11/2008 उ0शि0 398 दिनांक 13/4/11; 5/स1–06/09 उ0 शि0 426 दिनांक 21/4/11; 5/स1–04/2010–435 दिनांक 27/5/11; 5/स1–10/2008 उ0 शि0 409 दिनांक 15/4/11 एवं 5/स1–10/2009 उ0 शि0 484 दिनांक 06/5/11 एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आलोक में क्रमशः निम्नि महाविद्यालयों को सत्र 2010–11 के लिए सम्बन्धन दीर्घीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

(1) एस0बी0एम0 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मासीपीढ़ी, हजारीबाग;
(2) तथागत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद;
(3) राजीव गान्धी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद;
(4) झारखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, झुमरीतिलैया, कोडरमा;
(5) गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग;
(6) रमेश प्रसाद यादव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोडरमा।

(ख) मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/स1–04/2011 उ0 शि0 408 दिनांक 15/4/11 एवं सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आलोक में राम कृष्ण विवेकानन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बगोदर, गिरिडीह, को सत्र 2010–11 के लिए नव सम्बन्धन की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0/–
कुलसचिव

ज्ञापांक – वि0भा0वि0/स्था0/ 966 /2011 दिनांक 28 मई, 2011

प्रतलिपिः–

1. सम्बन्धित महाविद्यालयों को सूचनार्थ
2. सरकार के अवर सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झाारखण्ड सरकार, राँची
3. सहायक, कुलसचिव, वि0भा0वि0
4. परीक्षा नियन्त्रक, वि0भा0वि0
5. स्थापना प्रशाखा प्रभारी, वि0भा0वि0
6. निजी सहायकों को माननीय कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव, वि0भा0वि0 के सूचनार्थ प्रेषित्।

कुलसचिव 28/5/11